भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 363**

<u>दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

मसाला उत्पादकों के लिये विशेष पैकेज

*363. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मसाला उत्पादकों विशेषकर इलायची, काली मिर्च इत्यादि के उत्पादकों के लिये किसी विशेष पैकेज देने की योजना है, क्योंकि केरल में बाढ से मसाला उत्पादकों की फसल को बुरी तरह क्षति हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि बाढ आने के उपरांत कितनी क्षति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि फसल के ऐसे नुकसान से उत्पादकों के समक्ष गहन समस्याएं आई हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस क्षेत्र में पुनः सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हो?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4365**

दिनांक 7 जनवरी,2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि/कमी

4365. श्री राघव लखनपालः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात होने वाले बासमती चावल की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न देशों से देश में कृषि उत्पादों के पाटन की घटनाएं सामने आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं को रोकने तथा कृषि पदार्थों के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल से भारत के निर्यात का विवरण निम्नलिखित हैं:

मात्रा एमटी में; मूल्य अमरीकी डालर में

2015-16		2016-17		2017-18	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
4,045,822.29	3477.98	39,85,1956	3216.59	4,056,758.62	4169.48

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस /एपीडा

हांलाकि 2016-17 के दौरान निर्यात में मामूली सी गिरावट आई परंतु 2017-18 के दौरान मूल्य के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । बासमती चावल जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमत, आयातक देशों की गुणवत्ता मानकों आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है ।

(ग) अन्य देशों से कृषि उत्पादों के पाटन का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने के लिए कोई आवेदन व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के पास लंबित नहीं है।

(ग) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4364**

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकां हेतु ब्याज संबंधी राजसहायता

4364. श्री शिवकुमार उदासिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पोतलदान पश्चात और पोतलदान पूर्व निर्यात ऋण संबंधो राजसहायता की ब्याज दर में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ख) रोजगार को प्रोत्साहन देने वाले श्रम बहुल क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के स्वामित्व वाले बैकरों के असहयोगो रूख से निर्यातकों को नुकसान हो रहा है और सरकारी क्षेत्र (पीएसयू) के बैंकों के अधिकारी निर्यातकों की पहुंच से बाहर है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसमें आर्डर लेने लिए इन निर्यातकों के हाथ तंग हो गए है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) जी हां। पूर्व एवं प"च पोतलदान रुपए निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम (आईईएस) विनिर्माता निर्यातक जो पहचान की गई 416 प्रशुल्क लाइनो के तहत निर्यात कर रहे है तथा सभी सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विनिर्माताओ हेतु दिनांक 1.4.2015 से उपलब्ध है और इसकी दर 3 प्रति"ात थी। हाल ही में एमएसएमई हेतु परितंत्र को मजबूत करने के लिए दिनांक 02.11.2018 से स्कीम के तहत एमएसएमई क्षेत्र हेतु ब्याज समकरण दर को प्रति वर्ष 3 प्रति"ात से बढ़ाकर 5 प्रति"ात किया गया।

(ख) ब्याज समकरण स्कीम मुख्यताः श्रम गहन और एमएसएमई क्षेत्र के लिए है। ब्याज समकरण स्कीम के तहत अप्रैल 2015 से अगस्त 2018 की अवधि के दौरान पात्र निर्यातकों को 6457 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

(ग) से (घ) वाणिज्य विभाग को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4348**

दिनांक 7 जनवरी,2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

जैविक उत्पादों का निर्यात

4348. श्री सुधीर गुप्ताः

श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट सुरक्षा मानकों, पता लगाने की क्षमता संबंधी मानकों, मृदा प्रमाणन दिशा–निर्देशों आदि सहित जैविक उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए कोई नीति अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु प्रमाणन का अधिकार है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत से प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात की मात्रा कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में अर्जित विदेशी विनिमय की मात्रा कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा जैविक खाद्यों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार में इसके संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क): जी हां ।

(ख): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वर्ष 2001 से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) कार्यान्वित किया है :

i. अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जैविक कृषि और उत्पादों (वन्य फसल, जलीय कृषि, पशुधन उत्पाद सहित) के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के मूल्यांकन के साधन प्रदान करना।

ii. प्रत्यायन की मांग करने वाले प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रमों को प्रत्यायित करना ।

iii. जैविक उत्पादों के प्रमाणन को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुगम बनाना।

iv. दोनों देशों के बीच समरूपता समझौते के अनुरूप या आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयातक देशों के जैविक मानकों की सम्पुष्टता में जैविक उत्पादों के प्रमाणन को सुगम बनाना ।

v. जैविक कृषि एवं जैविक प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना।

वर्तमान में, देश से निर्यातों के लिए जैविक उत्पादों की प्रक्रिया प्रमाणन हेतु निरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए 29 प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन किया गया है। प्रत्यायित प्रमाणन निकायों की सूची अनुबंध-I में है।

(ग) एवं (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यातित प्रमाणित जैविक उत्पादों की मात्रा एवं मूल्य निम्नलिखित है:

वर्ष	निर्यात (मात्रा) (मी.टन)	निर्यात (मूल्य) करोड़ रुपये में	निर्यात (मूल्य) मिलियन अमरीकी डालर
2017-18	458,339	3453.48	516
2016-17	309,767	2478.17	370
2015-16	263,687	1975.87	298

(ड़) जैविक उत्पादों के निर्यात को संवर्धन देना एक सतत प्रक्रिया है। नई लागू कृषि निर्यात नीति आश्वस्त करती है कि जैविक उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्तशासी संगठन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा),को जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अधिदेशित किया गया है । एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत जैविक उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध करता है ।

अनुबंध- I

एनपीओपी के तहत प्रत्यायित प्रमाणन निकायों की सूची	
क्र.सं.	प्रमाणन निकाय का नाम
1	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
2	इकोसर्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड
3	आईएमओ कंट्रोल प्रा. लिमिटेड
4	भारतीय जैविक प्रमाणन एजेंसी (इंडोसर्ट)
5	लैकोन क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रा. लिमिटेड
6	वनसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
7	एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड
8	सीयू इंसपेक्शंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	उत्तराखंड राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (यूएसओसीए)
10	एपीओएफ जैविक प्रमाणन एजेंसी (एजोसीए)
11	राजस्थान जैविक प्रमाणन एजेंसी (आरओसीए)
12	वैदिक जैविक प्रमाणन एजेंसी
13	आईएससीओपी (भारतीय जैविक उत्पाद प्रमाणन सोसाइटी)
14	टीक्यू सर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व की फूडसर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
15	अदिति औद्योगिक सर्टिफिकेशंस प्रा. लिमिटेड
16	छत्तीसगढ़ प्रमाणन सोसायटी, इंडिया (सीजीसीईआरटी)
17	तमिलनाडु जैविक प्रमाणन विभाग (टीएनओसीडी)
18	इंटरटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड
19	मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
20	ओडिशा राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (ओएसओसीए)
21	नैचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस एग्रो प्रा. लिमिटेड
22	फेयर सर्ट सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
23	गुजरात जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेंसी (जीओपीसीए)
24	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
25	कर्नाटक राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी
26	सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (एसएसओसीए)
27	वैश्विक प्रमाणन सोसाइटी
28	ग्रीनसर्ट बायोसुलेशंस प्रा. लिमिटेड
29	तेलंगाना राज्य जैविक प्रमाणन प्राधिकरण

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4330**

दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

रत्न और आभूषण उद्योग

4330. श्री चन्द्रकांत खैरेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था में रत्न और आभूषण उद्योग महत्वपूर्ण योगदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में रत्न और आभूषण उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा था और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्योग की दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या इस वित्त वर्ष के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात में 5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या यह सच है कि वित्त वर्ष 2017 के 43.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई थी और यह घटकर 40.97 बिलियन अमेरिकी डालर रह गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : रत्न और आभूषण क्षेत्र निर्यात के साथ-साथ रोजगार सृजन के मामले में भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्ष 2017-18 में, देश से रत्न और आभूषण निर्यात कुल पण्यवस्तु निर्यात का 13.69% था। अनुमान के अनुसार, यह क्षेत्र लगभग 5 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

(ख) : रत्न एवं आभूषण उद्योग को सशक्त करने की दृष्टि से, सरकार ने वाणिज्य विभाग की विभिन्न स्कीमों के तहत विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) की स्थापना, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों के लिए अलग आईटीसी एचएस कोड सृजन, कटे हुए एवं पालिश किए हुए हीरों एवं कीमती पत्थरों के लिए जीएसटी दरों में कमी, अधिसूचित अभिकरणों एवं बैंकों द्वारा सोने के आयात पर आईजीएसटी से छूट, निर्यातकों को नामांकित अभिकरणों द्वारा सोने की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता करने, क्रेता विक्रेता बैठक के आयोजन, अवसंरचना संबंधी निर्यात के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि जैसे कदम उठाए हैं। इसके अलावा, उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों को समय-समय पर हल किया जाता है ताकि व्यापार करने में आसानी हो।

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 (नवंबर, 2018 तक) के दौरान रत्न एवं आभूषण निर्यात में 3.46 % की गिरावट दर्शाते हुए विगत वर्ष की समान अवधि के दौरान 28.02 बिलियन अम.डॉ की तुलना में 27.05 बिलियन अम.डॉ. रहा।

(घ) वर्ष 2017-18 के दौरान,रत्न एवं आभूषण निर्यात में 4.3% की गिरावट दर्शाते हुए 43.41 बिलियन अम.डॉ. की तुलना में 41.54 बिलियन था।

****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4317**

दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध

4317. कुंवर हरिवंश सिंहः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ देशों ने आज की तारीख में मत्स्य और अन्य समुद्री उत्पादों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों/उपज के भारत से आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पाद–वार और देश–वार इसके क्या कारण हो;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय किसानों की हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मत्स्य उत्पादन सहित भारतीय कृषि उत्पादों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए संबंधित देशों के साथ बातचीत आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और सरकार द्वारा इस संबं**ध** में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) : जी हॉ।

(ख) : भारत (मात्स्यिकी एवं अन्य समुद्री उत्पादों सहित) से कृषि उत्पादों के निर्यात पर विभिन्न देशों द्वारा वर्तमान में लागू प्रतिबंध संबंधी सूचना निम्नानुसार है:-

देश	उत्पाद	प्रतिबंध/रोक के कारण
सऊदी अरब एवं कुवैत	कच्चे जमे हुए श्रिंप	विशेष रूप से व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस रोग, श्रिंप को प्रभावित करने वाले महामारी रोगों का उद्भव कुवैत ने भी भारत में फार्म किए गए झींगो पर एक अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
सऊदी अरब एवं कुवैत	मछलियॉ	भारत में उत्पादित मछलियों की अस्पष्ट स्वास्थ्य स्थिति

देश	उत्पाद	प्रतिबंध/रोक के कारण
कनाडा	सिर पर शैल वाली श्रिंप	भारत में जलीय जंतु स्वास्थ्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के साथ जू-सैनिटरी निर्यात प्रमाणपत्र पर बातचीत नहीं हुई।
ऑस्ट्रेलिया	कच्चे जमे हुए श्रिम्प/प्रॉन	श्रिंप और श्रिंप उत्पादों के लिए अंतिम जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा प्रकाशित कठोर जैव सुरक्षा सलाह 2009/25 के कारण निलंबित कर दिए गए।
मैक्सिको	सूखी मिर्च	ट्रोगोडर्मा लार्वा के पता चलने के कारण निलंबित किया गया।
सऊदी अरबीया	केरल से बागवानी उत्पाद	निपाह वायरस के फैलने के कारण
यूएई	कुक्कुट उत्पाद	एवियान इंफलेंएजा के फैलने के कारण

(ग) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हमेशा उपलब्ध उत्पादों के निपटान के लिए वैकल्पिक रास्तों के कारण इस तरह के प्रतिबंधों से किसानों को हुए नुकसान की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं है।

(घ) एवं (ड.) सरकार भारतीय कृषि उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करवाने के लिए हर संभव कदम उठाती है। इस मामले को भारतीय दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों के प्रासंगिक अधिकारियों के साथ उठाया गया है। प्रतिबंध के कारण को समाप्त करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई, यदि आवश्यक है की जा रही है। इन देशों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रतिक्षित है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं .4315**

दिनांक 7जनवरी को दिए जाने वाले उत्तर

जड़ी बूटी और जड़ी बूटी उत्पादों का निर्यात

4315. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः
श्री धनंजय महाडीकः
श्री सातव राजीव :
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में बने जड़ी बूटी उत्पादों और जड़ी बूटियों के कुल निर्यात का देश और मूल्य–वार ब्यौरा क्या है;
(ख) जड़ी बूटी और जड़ी बूटी उत्पादों के कुल वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यूरोपीय और अन्य विकसित देशों में भारतीय जड़ी बूटियों के लिए भारी मांग है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश से इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना तैयार की है और इस प्रयोजन हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान किया है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त निर्यात को प्रोत्साहन देने और जड़ी बूटी के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) विगत तीन वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के लिए जड़ी-बूटी एवं जड़ी बूटी उत्पादों का निर्यात मूल्य में :

मूल्य अम.डा. मिलियन में

वस्तु	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल - नवंबर, 2019 (अनंतिम)
पौध एवं पौधे का हिस्सा (जड़ी बूटी)	274.14	289.07	330.18	205.45
आयुष एवं जड़ी बूटी उत्पाद	364.00	401.68	456.12	290.96

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के लिए जड़ी-बूटी एवं जड़ी बूटी उत्पाद का देश-वार निर्यात **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है।

(ख) वर्तमान में विश्व हर्बल व्यापार का कुल मूल्यांकन 120 अम.डॉ. बिलियन में किया जाता है। जड़ी बूटी और जड़ी बूटी उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी निम्नलिखित कारणों से निम्न है : -

i. अपर्याप्त कृषि परिपाटी।
ii. अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया।

iii. बड़े पैमाने पर जैविक खेती का अभाव ।

iv. प्रसंस्करण एवं आर एंड डी का अभाव ।

v. उत्पाद, प्रसंस्करण एवं सेवा में मानकीकरण का अभाव ।

vi. औषधीय पौधों के व्यापार में नियामक ढांचे का अभाव ।

हालांकि, जड़ी - बूटियों तथा औषधीय जड़ी- बूटियों के मूल्य वर्धित अर्क का निर्यात इन वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ रहा है । भारत ने 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 14.22% की वृद्धि दर के साथ 330.18 अम. डा. मिलियन मूल्य की जड़ी-बूटियों का निर्यात किया । वर्ष 2017-18 के दौरान औषधीय जड़ी बूटी के मूल्यवर्धित अर्क / जड़ी बूटी उत्पादों का निर्यात विगत वर्ष की तुलना में 12.23% की वृद्धि दर्ज करते हुए 456.12 अम. डॉ. मिलयन रहा ।

(ग) और (ड.) जड़ी बूटी /औषधीय जड़ी बूटी के मूल्य वर्धित अर्क की मांग विदेश में, विशेष रूप से यूरोपीय और अन्य विकसित देशों में धीरे-धीरे बढ़ रही है।

भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में, सरकार ने कई उपाय किए हैं : -

i. वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उत्पाद समूहों / क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की है। जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधों के निर्यात संवर्धन का कार्य, चपड़ा एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्शील), कोलकाता में मुख्यालय को सौंपा गया है। अन्य के अलावा कई जड़ी बूटी उत्पादों का निर्यात संवर्धन का कार्य फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्शील) को सौंपा गया है । ये ईपीसी निर्यातक समुदाय को सुविधा प्रदान करती हैं और अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धनात्मक उपाय करते है।

ii. वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत ईपीसी /व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएमएस), रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक (आरबीएसएमएस), शोध एवं उत्पाद विकास, बाजार अध्ययन आदि में भागीदारी एवं इनके आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. भारत से पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए निर्यातक समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि भारत में उत्पादित उत्पादों के निर्यात के संबंध में अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतो की भरपाई की जा सके, उनको विशेष बल देता है जो भारत के निर्यात हित में है तथा रोजगार सृजन एवं विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हों ।

iv ' निर्यात बंधु स्कीम' को 'कौशल भारत' और व्यापार संवर्धन /जागरूकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नया रूप देते हुए और पुनर्निर्धारित किया गया है ।

v आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता स्कीम निर्यातकों को व्यापार मेलों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैठक एवं सम्मेलन का आयोजन एवं उत्पाद पंजीकरण प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

vi राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने औषधीय पौधो में बेहतर कृषि परिपाटी (जीएपी) एवं बेहतर क्षेत्र संग्रह परिपाटी (जीएफसीपी) को प्रोत्साहित करने के क्रम में 22 नवंबर, 2017 को "औषधीय पादप उत्पाद के लिए स्वैच्छिक प्रमाणीकरण स्कीम (वीसीएसएमपीपी)" आरंभ की है। वीसीएसएमपीपी देश में औषधीय पादप कच्ची सामग्री की प्रमाणीकृत गुणवत्ता की उपलब्धता को बढ़ायेगा और उनके निर्यात को बढ़ावा देगा तथा जड़ी बूटी के वैश्विक निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी को बढ़ाएगा।

vii. आयुष मंत्रालय अपने गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम जैसे आयुष चिह्न और प्रीमियम चिह्न के माध्यम से भी गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने में उद्योग की सहायता कर रहा है।

viii. आयुष मंत्रालय पारंपरिक औषधि के संवर्धन के लिए कुछ देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है जो दीर्घ अवधि में निर्यात सहायक होगा।

******

अनुबध-I

विगत 3 वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष (नवंबर 18 तक) के लिए शेफेक्सिल के पौधे एवं पौधे के हिस्सा पैनल के (अम.डा.मिलियन में) का विवरण

	निर्यात बाजार देश	2015-16	2016-17	2017-18	अप्रैल-नवंबर 2018-19
1	**अफगानिस्तान टीआईएस**	**0.81**	**0.83**	**3.79**	**1.63**
2	**अल्बानिया**		**0.01**		**0.01**
3	**अल्जीरिया**	**0.11**	**0.18**	**0.35**	**0.52**
4	**अंगोला**			**0.00**	**0.00**
5	**अर्जेंटीना**	**0.14**	**0.16**	**0.33**	**0.16**
6	**आर्मेनिया**			**0.00**	**0.00**
7	**अरूबा**				**0.00**
8	**ऑस्ट्रेलिया**	**5.60**	**6.97**	**7.02**	**4.81**
9	**ऑस्ट्रिया**	**1.95**	**3.17**	**3.79**	**1.27**
10	**अज़रबैजान**			**0.01**	**0.00**
1 1	**बहामास**				**0.00**
12	बहरीन आईएस	**0.60**	**0.53**	**0.47**	**0.11**
13	**बंगलादेश पी आर**	**5.92**	**3.88**	**3.71**	**2.85**
14	**बारबाडोस**		**0.00**		**0.00**
15	**बेलारूस**		**0.00**	**0.01**	**0.00**
16	**बेल्जियम**	**4.19**	**4.85**	**6.46**	**3.88**
17	**बेलीज़**		**0.00**		**0.00**
18	**बेनिन**		**0.00**		**0.00**
19	**भूटान**				**0.01**
20	**बोलिविया**		**0.02**	**0.03**	**0.00**
21	**बोस्निया हर्जगोविन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22	**बोत्सवाना**	**0.00**	**0.01**	**0.02**	**0.00**
23	**ब्राज़ील**	**1.08**	**1.23**	**1.58**	**1.33**
24	**ब्रुनेई**	**0.00**	**0.02**	**0.00**	**0.00**
25	**बुल्गारिया**	**0.12**	**0.16**	**0.14**	**0.10**
26	**बुर्किना फासो**		**0.00**		**0.00**
27	**सी अफ्रिकन गणराज्य**				**0.00**
28	**कंबोडिया**		**0.00**	**0.01**	**0.19**
29	**कैमरून**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
30	**कनाडा**	**2.98**	**3.59**	**3.48**	**2.69**
31	**केमैन आईएस**			**0.00**	**0.00**
32	**चिली**	**0.35**	**0.28**	**0.36**	**0.33**
33	**चीन पीआर**	**6.74**	**5.44**	**9.94**	**9.63**
34	**कोलंबिया**	**0.71**	**0.63**	**1.08**	**0.37**
35	**कांगो डी.रीप.**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.13**
36	**कांगो डी.रीप.**		**0.00**	**0.01**	**0.02**
37	**कोस्टा रिका**	**0.36**	**0.31**	**0.41**	**0.16**
38	कोड डी आईवरी			**0.00**	**0.00**
39	**क्रोएशिया**	**0.08**	**0.02**	**0.03**	**0.06**
40	**क्यूबा**				**0.00**

41	साइप्रस		0.00	0.00	0.00
42	चेक गणतंत्र	0.72	0.70	0.70	0.24
43	डेनमार्क	4.25	3.19	4.22	0.48
44	ज़िबूटी	0.01	0.00	0.00	0.00
45	डोमिनिक रीप.	0.02	0.01	0.04	0.01
46	डोमिनिका				0.00
47	इक्वाडोर	0.08	0.07	0.12	0.13
48	मिश्र एआरपी	1.00	0.76	0.72	0.90
49	एल साल्वाडोर	0.04	0.00	0.12	0.03
50	एस्टोनिया	0.08	0.09	0.11	0.08
51	यूथोपिया	0.00		0.03	0.03
52	फारो आईएस				0.04
53	फिजि आईएस	0.00	0.00	0.01	0.01
54	फिनलैंड	0.01	0.33	0.59	0.19
55	फ्रांस	4.58	6.01	7.30	3.63
56	गैबॉन				0.00
57	जॉर्जिया	0.01	0.01	0.01	0.04
58	जर्मनी	31.67	30.95	46.78	24.75
59	घाना	0.00	0.01	0.03	0.01
60	ग्रीस	0.10	0.08	0.04	0.07
61	गुआडेलूप	0.00	0.01	0.00	0.01
62	ग्वाटेमाला	0.26	0.95	0.66	0.20
63	गिन्नी	0.00			0.00
64	गुयाना	0.01	0.00	0.00	0.00
65	होंदुरास	0.02	0.00	0.02	0.01
66	हॉगकॉग	0.66	0.14	0.07	0.08
67	हंगरी	0.51	0.41	0.50	0.21
68	आइसलैंड	0.00	0.00		0.00
69	इंडोनेशिया	2.92	1.59	1.45	1.19
70	ईरान	3.07	4.44	3.83	2.46
71	इराक	0.18	0.32	0.50	0.24
72	आयरलैंड	0.22	3.74	2.60	1.63
73	इजराइल	0.23	0.32	0.66	0.12
74	इटली	12.11	12.82	15.56	8.09
75	जमैका	0.00	0.00	0.00	0.00
76	जापान	7.14	5.59	5.57	3.61
77	जॉर्डन	0.13	0.05	0.08	0.04
78	कजाकिस्तान	0.00	0.01	0.00	0.01
79	केन्या	0.07	0.04	0.07	0.02
80	कोरिया डीपी आरपी	0.09	0.00	0.00	0.00
81	कोरिया आरपी	3.29	4.03	4.63	2.96
82	कुवैत	0.71	0.92	0.98	0.31
83	किरगीस्तान	0.00		0.00	0.00
84	लातविया	0.39	0.36	0.29	0.26
85	लेबनान	0.05	0.02	0.07	0.04

86	लाइबेरिया			0.00	0.00
87	लीबिया	0.00	0.08	0.13	0.00
88	लिथुआनिया	0.24	0.27	0.42	0.13
89	लक्ज़मबर्ग	0.00	0.00		0.00
90	मकाऊ				0.00
91	मैसेडोनिया	0.05	0.06	0.04	0.04
92	मेडागास्कर		0.46		0.00
93	मलावी	0.00	0.00		0.00
94	मलेशिया	4.45	6.20	4.54	2.51
95	मालदीव	0.01	0.02	0.01	0.01
96	माली	0.01			0.00
97	माल्टा				0.00
98	मार्टीनिक	0.00		0.01	0.00
99	मॉरीशस	0.14	0.12	0.14	0.15
100	मेक्सिको	4.15	6.09	3.86	2.09
101	मोल्डोवा				0.00
102	मंगोलिया		0.00	0.00	0.00
103	मॉटेनेग्रो	0.00	0.00		0.00
104	मॉटेसेराट				0.00
105	मोरक्को	0.14	0.30	0.37	0.18
106	मोज़ाम्बिक	0.01	0.00	0.00	0.00
107	म्यांमार	0.31	0.41	0.53	0.21
108	नामिबिया		0.00		0.00
109	नेपाल	1.01	1.30	1.91	0.86
110	नीदरलैंड	4.92	3.45	5.19	1.82
111	नीदरलैंडएटिल		0.12	0.00	0.00
112	न्यू कैलेडोनिया	0.00			0.00
113	न्यूज़ीलैंड	0.47	0.43	0.42	0.35
114	निकारागुआ		0.00	0.00	0.00
115	नाइजीरिया	0.00	0.04	0.05	0.11
116	नॉर्वे	0.06	0.05	0.16	0.04
117	ओमान	0.25	0.33	0.51	0.04
118	पाकिस्तान आईआर	17.45	13.17	10.01	9.14
119	पनामा रिपब्लिक	0.37	0.01	0.01	0.00
120	पपुआ एन जीएनए			0.00	0.00
121	पैराग्वे	0.00	0.00	0.00	0.01
122	पेरु	0.02	0.00	0.01	0.02
123	फिलिपींस	3.46	2.26	2.72	1.72
124	पोलैंड	1.23	1.94	2.01	0.94
125	पुर्तगाल	0.06	0.07	0.02	0.04
126	कतर	0.65	1.07	1.08	0.21
127	रीयूनियन	0.00	0.00	0.00	0.01
128	रोमानिया	0.43	0.43	0.48	0.60
129	रूस	0.62	0.83	0.88	0.64
130	साओ टोम				

131	सउदी अरब	3.64	2.95	3.36	1.06
132	सेनेगल	0.00			0.00
133	सर्बिया	0.03	0.05	0.06	0.02
134	सेशल्स	0.00	0.00	0.00	0.00
135	सियरा लिओन			0.00	0.00
136	सिंगापुर	0.64	0.44	0.56	0.37
137	स्लोवाक रीप	0.02	0.03	0.13	0.07
138	स्लोवेनिया	0.11	0.19	0.13	0.22
139	सोमालिया	0.00	0.12	0.08	0.02
140	दक्षिण अफ्रीका	1.06	0.79	0.75	0.55
141	स्पेन	1.83	1.67	2.41	1.47
142	श्री लंका डीएसआर	2.06	2.34	2.11	1.45
143	सेंट लूसिया		0.00	0.00	0.00
144	सेंट विसेंट				0.00
145	सूडान	0.02	0.11	0.25	0.01
146	सूरीनाम	0.00	0.00	0.00	0.00
147	स्वाज़िलैंड		0.00		0.00
148	स्वीडन	0.68	0.45	0.63	0.21
149	स्विट्ज़रलैंड	0.37	0.33	0.44	0.28
150	सीरिया	0.08	0.04	0.02	0.01
151	ताइवान	3.05	2.17	1.97	1.42
152	तंजानिया रीप.	0.11	0.03	0.12	0.04
153	थाईलैंड	2.54	2.44	2.63	1.28
154	टोगों	0.00	0.01		0.00
155	त्रिनिदाद	0.01	0.00	0.01	0.01
156	ट्यूनीशिया	0.03	0.09	0.06	0.07
157	तुर्की	0.63	0.46	0.94	0.43
158	संयुक्त अरब अमिरात	6.84	6.42	6.37	1.88
159	यूके	10.56	9.58	10.41	6.65
160	अमेरीका	79.06	90.43	99.00	63.74
161	युगांडा	0.00	0.01	0.04	0.07
162	यूक्रेन	0.07	0.10	0.13	0.09
163	उरुग्वे	0.05	0.07	0.05	0.05
164	उज़बेकिस्तान	0.02	0.03	0.03	0.04
165	वेनेज़ुएला	0.02	0.04		0.00
166	वियतनाम सोश.रीप.	13.25	17.55	20.15	19.60
167	यमन रिपब्लिक	0.02	0.05	0.08	0.04
168	जाम्बिया	0.00	0.00	0.00	0.00
169	ज़िम्बावे	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		274.14	289.07	330.18	205.45

टिप्पणी: **2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अध्यधीन हैं**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

2015-16 से 2018-19 (18 नवंबर तक) के दौरान भारत से आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात मिलियन अमरीकी डालर में

निर्यात का देश	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (नवंबर 18 तक)
अफगानिस्तान	0.94	1.06	4.27	1.95
अल्बानिया	0.00	0.01		0.01
अल्जीरिया	1.59	2.12	1.79	1.19
एंडोरा				0.01
अंगोला	0.26	0.24	0.54	0.59
एंग्विला				0.00
एंटीगुआ	0.01	0.01	0.02	0.02
अर्जेंटीना	0.14	0.16	0.29	0.16
आर्मेनिया	0.02	0.01	0.03	0.03
ऑस्ट्रेलिया	6.02	8.66	9.42	6.06
ऑस्ट्रिया	1.97	3.18	3.86	1.34
अज़रबैजान	0.25	0.16	0.18	0.10
बहामास	0.00		0.00	0.00
बहरीन आई एस	0.62	0.51	0.51	0.33
बंगलादेश रिपब्लिक	5.95	4.02	5.14	4.05
बारबाडोस	0.06	0.10	0.13	0.03
बेलारूस	0.35	0.08	0.46	0.08
बेल्जियम	4.34	4.98	6.25	3.60
बेलीज़	0.00	0.00	0.01	0.00
बेनिन	0.09	0.01	0.05	0.09
भूटान	0.32	0.14	0.18	0.52
बोलिविया	0.00	0.03	0.04	0.01
बोस्निया हर्रजगोविन	0.03	0.01	0.02	0.00
बोत्सवाना	0.01	0.01	0.01	0.02
बीआर वर्जिन आई एस	0.00			
ब्राज़ील	1.02	1.19	1.69	1.36
ब्रुनेई	0.01	0.00	0.02	0.00
बुल्गारिया	0.54	0.58	1.18	0.62
बुर्किना फासो	0.00	0.00	0.03	0.03
बुरूंडी	0.01	0.02	0.03	0.01
सी अफ्रीका रिपब्लिक				0.00
कंबोडिया	0.23	0.23	0.29	0.46
कैमरून	0.01	0.06	0.02	0.01
कनाडा	2.80	3.60	3.81	2.97
केमैन आईएस	0.00	0.00	0.00	0.01
चाड		0.00	0.00	

चिली	0.35	0.28	0.35	0.34
चीन पी रिपब्लिक	6.95	5.90	9.97	9.32
कोलंबिया	0.73	0.64	1.10	0.37
कोमोरोस				0.00
कांगो डी गणराज्य	0.12	0.06	0.27	0.58
कांगो पी गणराज्य	0.05	0.04	0.09	0.08
कोस्टा रिका	1.14	0.76	0.78	0.53
कोट डी आइबरी	0.05	0.02	0.03	0.19
क्रोएशिया	0.08	0.06	0.05	0.09
साइप्रस		0.01	0.01	0.01
चेक गणतंत्र	0.94	1.07	1.12	0.43
डेनमार्क	4.24	3.24	4.18	0.49
ज़िबूटी	0.01	0.00	0.00	
घरेलू प्रतिनिधि	0.02	0.01	0.02	0.01
डोमिनिका	0.00	0.00	0.01	0.01
इक्वाडोर	0.12	0.16	0.20	0.16
मिश्र ए गणराज्य	1.38	1.16	1.10	1.31
एल साल्वाडोर	0.04	0.01	0.12	0.03
ईक्यूट गुरना		0.00	0.00	0.00
इरिट्रिया	0.01			
एस्टोनिया	0.25	0.32	0.83	0.08
इथिपिया		0.15	0.03	0.12
फारो आई एस				0.04
फिजी आई एस	0.21	0.23	0.27	0.21
फिनलैंड	0.61	0.40	0.76	0.22
फ्रांस	6.43	9.84	11.63	7.47
गैबॉन	0.00		0.00	
गाम्बिया	0.03	0.04	0.01	0.02
जॉर्जिया	0.13	0.15	0.14	0.06
जर्मनी	27.99	27.99	43.07	21.80
घाना	3.52	2.65	2.40	1.58
यूनान	0.12	0.12	0.09	0.04
ग्रेनेडा	0.01	0.02	0.03	0.03
गुआडेलूप	0.01	0.04	0.01	0.02
ग्वाटेमाला	0.39	1.31	0.83	0.26
गिनी	0.02	0.11	0.13	0.04
गिनी बिसाऊ			0.00	0.00
गुयाना	0.05	0.08	0.10	0.04
हैती	0.01		0.01	0.00
होंदरास	0.02	0.00	0.06	0.05
हॉगकॉग	1.96	1.14	2.36	2.36
हंगरी	0.61	0.53	0.62	0.32
आइसलैंड	0.00	0.00		0.00
इंडोनेशिया	2.92	1.89	2.14	1.27

ईरान	3.00	3.75	2.32	1.21
इराक	1.60	2.35	2.96	1.91
आयरलैंड	0.47	3.98	2.80	1.80
इजराइल	0.23	0.35	0.74	0.23
इटली	14.24	16.10	19.90	10.93
जमैका	0.00	0.00	0.01	0.12
जापान	12.05	11.18	7.17	2.96
जॉर्डन	0.29	0.17	0.27	0.10
कजाकिस्तान	1.35	0.45	1.06	0.74
केन्या	2.68	2.88	3.35	1.58
कोरिया डीपी गणराज्य	0.13	0.06	0.10	0.02
कोरिया गणराज्य	3.42	4.10	4.91	3.20
कुवैत	1.12	1.18	1.38	0.83
किरगिस्तान	0.23	0.15	0.34	0.23
एलएओ पीडी आरपी	0.01	0.01	0.04	0.04
लातविया	2.02	2.63	3.10	2.01
लेबनान	0.08	0.06	0.11	0.12
लेसोथो	0.00		0.01	0.01
लाइबेरिया	0.04	0.03	0.08	0.09
लीबिया	0.02	0.26	0.11	0.13
लिथुआनिया	0.42	0.36	0.47	0.56
लक्ज़मबर्ग	0.00	0.00		0.00
मकाओ				0.00
मैसेडोनिया	0.06	0.06	0.04	0.05
मेडागास्कर	0.04	0.48	0.04	0.01
मलावी	0.06	0.04	0.12	0.08
मलेशिया	7.06	8.50	7.03	4.46
मालदीव	0.11	0.13	0.31	0.23
माली	0.00	0.00	0.03	0.02
माल्टा	0.02	0.05	0.00	0.01
मार्शल द्वीप				0.00
मार्टीनिक	0.01	0.01	0.01	0.00
मॉरिटानिया	0.01	0.01	0.01	0.04
मॉरीशस	1.07	1.73	1.42	1.47
मेक्सिको	4.18	6.05	3.68	2.01
माइक्रोनेशिया			0.00	0.00
मोल्डोवा	0.21	0.14	0.20	0.09
मंगोलिया	0.28	0.32	0.48	0.51
मोंटेनेग्रो	0.00	0.00		0.00
मोंटेसेराट				0.00
मोरक्को	0.34	0.58	0.52	0.25
मोज़ाम्बिक	0.03	0.03	0.01	0.01
म्यांमार	0.84	1.13	1.16	0.57
नामिबिया	0.00	0.04	0.02	

नेपाल	13.32	16.34	19.20	11.42
नीदरलैंड	3.67	3.17	3.84	1.98
नीदरलैंड एटिल	0.04	0.16	0.09	0.03
न्यू कैलेडोनिया	0.00			
न्यूजीलैंड	0.51	0.64	0.72	0.54
निकारागुआ	0.08	0.10	0.02	0.06
नाइजर	0.03	0.00	0.00	
नाइजीरिया	1.69	1.60	1.39	1.24
नॉर्वे	0.16	0.28	0.20	0.20
ओमान	0.56	0.83	0.96	0.75
पाकिस्तान आई आर	18.62	13.58	10.14	9.93
पलाउ			0.00	
पनामा प्रतिनिधि	0.38	0.09	0.20	0.03
पपुआ एन जीएनए	0.02	0.00	0.07	0.07
पैराग्वे	0.00	0.01	0.00	0.01
पेरु	0.12	0.01	0.07	0.04
फिलिपींस	2.94	2.66	2.52	1.95
पोलैंड	1.57	2.32	2.61	1.26
पुर्तगाल	0.07	0.07	0.03	0.05
कतर	0.47	0.74	0.83	0.97
रीयूनियन	0.01	0.01	0.02	0.01
रोमानिया	2.30	2.28	3.22	2.40
रूस	9.80	11.30	12.91	6.78
रवांडा			0.01	
समोआ		0.01		
सऊदी अरब	3.22	2.74	2.82	1.06
सेनेगल	0.05	0.00	0.01	0.00
सर्बिया	0.03	0.06	0.08	0.06
सेशल्स	0.02	0.02	0.05	0.03
सियरा लिओन	0.05	0.05	0.07	0.02
सिंगापुर	1.13	1.51	1.98	1.39
स्लोवाक रिप	0.04	0.05	0.15	0.08
स्लोवेनिया	0.12	0.11	0.18	0.16
सीलोमन ओ एस	0.00	0.00		
सोमालिया	0.01	0.14	0.16	0.04
दक्षिण अफ्रीका	2.60	2.98	3.35	2.48
स्पेन	4.21	3.63	4.92	3.34
श्री लंका डीएसआर	1.55	2.17	2.53	1.94
सेंट कीटीना	0.00	0.00	0.00	0.01
सेंट लूसिया	0.03	0.05	0.04	0.03
सेंट विसेंट	0.01	0.02	0.02	0.03
सूडान	0.43	0.47	0.64	0.54
सूरीनाम	0.02	0.02	0.02	0.03
स्वाज़िलैंड		0.00	0.00	0.02

स्वीडन	0.69	0.54	0.70	0.32
स्विट्ज़रलैंड	0.47	0.71	0.60	0.33
सीरिया	0.19	0.12	0.20	0.07
ताइवान	2.94	2.08	1.84	1.34
ताजिकिस्तान	0.62	0.74	0.97	0.53
तंजानिया की आरईपी	0.45	0.50	0.60	0.44
थाईलैंड	1.97	2.70	2.58	1.45
तिमोर-लेस्ते			0.01	0.01
जाना	0.01	0.02	0.07	0.01
टोंगा				0.00
त्रिनिदाद	0.27	0.29	0.23	0.22
ट्यूनीशिया	0.03	0.18	0.11	0.08
तुर्की	1.41	1.10	1.81	0.92
तुर्कमेनिस्तान	0.80	1.16	0.95	0.38
सयुक्त अरब अमिरात	19.47	18.84	20.11	13.86
यूके	11.11	10.58	11.34	7.38
अमेरीका	88.43	105.89	119.35	74.18
युगांडा	1.19	1.16	1.71	1.41
यूक्रेन	2.23	2.18	2.69	2.41
अनिर्दिष्ट	0.07		0.00	
उरुग्वे	0.05	0.07	0.05	0.05
उज़्बेकिस्तान	1.54	1.80	1.54	0.91
वनुआतरिप				0.00
वेनेज़ुएला	0.09	0.04	0.00	
वियतनाम सा.गणराज्य	12.68	17.64	19.29	18.49
यमन रिपब्लिक	0.33	1.85	1.42	0.72
जाम्बिया	0.20	0.31	0.41	0.24
ज़िम्बावे	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**364.00**	**401.68**	**456.12**	**290.96**

2018-19 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं और परिवर्तन के अध्यधीन है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4301**

दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंगूर के किसानों और निर्यातकों द्वारा उठाया गया घाटा

4301. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 के दौरान अंगूर के किसानों और निर्यातकों द्वारा उठाए गए घाटे का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अगस्त 2018 में अंगूर के किसानों और निर्यातकों को वर्ष 2010 में हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई प्राकलन सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आज की तिथि तक अंगूर के किसानों और निर्यातकों को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु क्या कार्रवाई की गई है/प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) जी हॉ ।

(ख) वर्ष 2010 में यूरोपीय संघ द्वारा खेपों की अस्वीकृति के कारण कुछ निर्यातकों को घाटा उठाना पड़ा । यह अस्वीकृति क्लोरोमैक क्लोराइड (सीसीसी) के पता लगने के कारण हुई । राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (एनआरसी) पुणे, के परामर्श के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 2003 - 04 में अंगूर के लिए एक अवशिष्ट निगरानी योजना (आरएमपी) पेश की थी जिसमें यूरोपीय संघ को अंगूर निर्यात के लिए अवशिष्ट के लिए लदान पूर्व अनिवार्य परीक्षण अपेक्षित है । इसे लागत प्रभावी बनाने के लिए एनआरसी ने निर्यात - पूर्व परीक्षण के लिए रसायनों की संख्या को सीमित किया था और सीसीसी आरएमपी परीक्षण के लिए रसायनों की सूची में नहीं था। वर्ष 2010 में, यूरोपीय संघ ने सीसीसी की उपस्थिति के संबंध में परीक्षण को अचानक लागू किया तथा इसकी उपस्थिति के कारण अंगूर के कई खेप यूरापीय संघ द्वारा अस्वीकृत कर दिए गये थे ।

अंगूर के खेपो में कीटनाशी अवशिष्ट के पहचान के कारण यूरोपीय संघ द्वारा आसन्न प्रतिबंध के सम्मुख अवशिष्ट निगरानी योजना (आरएमपी) को प्रस्तावित किया गया था । आरएमपी को निर्यात को सुचारू बनाने एवं रसायन अवशिष्ट के पहचान के कारण अस्वीकृति के अवसर को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था । लागत को सीमित करने के उद्देश्य से आरएमपी के तहत परीक्षण एनआरसी, अंगूर, पूणे द्वारा निर्धारित एक यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया के माध्यम से केवल सीमित संख्या में रसायनों के लिए किया गया था । यह प्रक्रिया निर्यातकों को यूरोपीय संघ द्वारा आवश्यक मानकों को पूरा करने से विमुक्त नहीं करती है यह प्रक्रिया 400 से अधिक रसायनों के लिए सीमा निर्धारित करती है ।

(ग एवं घ) यह महाराष्ट्र सरकार/एनआरसी - अंगूर द्वारा करवाए गए एफओबी लागत विश्लेषण पर आधारित हैं । निर्यातकों द्वारा उठाए गए घाटे के लिए एपीडा ने 9.61 करोड़ रूपए का अनुमान प्रस्तुत किया है ।

(ड.) इस मुद्दें को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था और उनके सलाह पर दावों के सत्यापन के लिए सलाहकार लागत के कार्यालय को भेजा गया था । मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय की सलाह से, उत्पादन लागत के विश्लेषण के लिए मामले को अब कृषि लागत और मूल्य आयोग को भेज दिय गया है ।

*****

भारत सरकार | लोक सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. **4273**

<u>दिनांक 07 , जनवरी 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

विश्व व्यापार संगठन में मुद्दे

4273. कुमारी सुष्मिता देवः

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनेक सदस्य विवादों के समाधान के लिए गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करने हेतु एक साथ आए हैं क्योंकि युनाइटेड स्टेट्स ने विवाद निपटारा निकाय में मामलों को सुनने के लिए नए सदस्यों की नियुक्ति अवरुद्ध कर दी है;

(ख) यदि हां, तो भारत के मामलों, जो विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटारा निकाय के अंतर्गत हैं, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन मुद्दों के समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं/कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री सी.आर. चौधरी)</u>

(क): जी हां, संयुक्त राज्य ने कुछ सर्वांगी और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय के सदस्यों की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है । भारत सहित, डब्ल्यूटीओ के 164 में से लगभग एक चौथाई सदस्यों ने प्रत्येक संगत डब्ल्यूटीओ की बैठक में इन मामलों पर चिंता व्यक्त की है । इसके अतिरिक्त , भारत ने यूरोपीय संघ और 12 अन्य देशों सहित डब्ल्यूटीओ सामान्य परिषद से संयुक्त राज्य द्वारा अपीलीय निकाय सदस्यों की नियुक्ति सहित विवाद निपटान निकाय की कार्य प्रणाली एवं प्रचालन के मुद्दे के समाधान हेतु पत्र व्यवहार किया है ।

(ख) और (ग) : डब्ल्यूटीओ में भारत के 7 विवाद हैं जो निपटान के विभिन्न चरणों (अनुबंध 1 के विवरणानुसार) पर हैं । भारत अनुभवी कानूनी फर्मों की सहायता से इन विवादों में अपने हितों की रक्षा कर रहा है।

****

अनुबंध - 1

डब्ल्यूटीओ में भारत के विवाद

(i). डीएस 430 - संयुक्त राज्य से कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयात, शिकायतकर्ता : भारत

(ii). डीएस 436 - भारतीय इस्पात उत्पादों पर संयुक्त राज्य द्वारा प्रतिकारी शुल्क ,शिकायतकर्ता : भारत

(iii). डीएस 456 - संयुक्त राज्य के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन विवाद, शिकायतकर्ता : भारत

(iv). डीएस 510 - संयुक्त राज्य का 'सब - फेडरेल रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, शिकायतकर्ता : भारत

(v). डीएस 518 - भारत- जापान से लोहा और स्टील के आयात पर विशिष्ट उपाय शिकायतकर्ता : जापान

(vi). डीएस 541 - भारत के निर्यात सब्सिडी उपाय , शिकायतकर्ता: संयुक्त राज्य

(vii). डीएस 547 - संयुक्त राज्य - इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर संयुक्त राज्य के विशिष्ट उपाय, शिकायतकर्ता : भारत

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4266**

<u>दिनांक 07 , जनवरी 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात

4266. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्री धनंजय महाडीकः
श्री सातव राजीव :
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकररावः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों/प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कितना निर्यात किया गया है और इस निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;
(ख) क्या मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अन्य विकासशील देशों की तुलना में बेहद कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान देश से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;
(घ) क्या अन्य देशों से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात हेतु अनुमति प्रदान करने में सरकार ने उदार दृष्टिकोण अपनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं; और
(ङ) क्या किसी मूलभूत कृषि उपज के निर्यात पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को अनुमति देने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और घरेलू बाजार में इन वस्तुओं के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री</u>

<u>(श्री सी.आर. चौधरी)</u>

(क) :पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत के मूल्यवर्धित कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात का विवरण अनुबंध -1 पर दिया गया है ।

(ख) : मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी संबंधी आंकडों का रख - रखाव नहीं किया गया ।

(ग) : देश से मूल्यवर्धित कृषि /प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन एक अनवरत प्रक्रिया है । नई लागू कृषि निर्यात नीति में यह प्रावधान किया गया है कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और ये किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध के क्षेत्राधिकार में नहीं लाए जाऐंगे । कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात संवर्धन हेतु वाणिज्य विभाग की अनेक योजनाएं जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना इत्यादि हैं । भारत से पण्यवस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) के अंतर्गत निर्यातकों को विभिन्न मूल्य वर्धित कृषि /प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं पर प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके अतिरिक्त , कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत मूल्यवर्धित कृषि /प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात में निर्यातकों को सहायता दी जा रही है । ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, विभिन्न बाजारों में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त करने की पहल करके,बाजार आसूचना के प्रसार, निर्यातित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों इत्यादि द्वारा निर्यातों को प्रोत्साहन दे रहें हैं ।

(घ): भारत वनस्पति तेल के अतिरिक्त किसी अन्य मूल्यवर्धित कृषि/प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं का सार्थक मात्रा में आयात नहीं करता । भारत वनस्पति तेल का सार्थक मात्रा में आयात करता है क्योंकि इसकी मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन पर्याप्त नहीं है ।

(ड.) : जी हां । नई लागू कृषि निर्यात नीति में इस आश्वासन का प्रावधान किया गया है कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंध के क्षेत्राधिकार में नहीं लाए जाऐंगे (यथा न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, निर्यात कोटा , निर्यात सीमा, निर्यात परमिट इत्यादि) हालांकि प्राथमिक कृषि उत्पाद कुछ विशिष्ट निर्यात प्रतिबंधों के अंतर्गत आते हैं । यह उपाय गैर-आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए एक नीति परिवेश उपलब्ध कराने एवं मूलभूत वस्तुओं के बजाय मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया है । चूंकि मूल्यवर्धित कृषि /प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात की मात्रा कुल घरेलू उत्पादन का एक बहुत छोटा हिस्सा है अत: घरेलू मूल्यों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है ।

अनुबंध -I

प्रसंस्कृत खाद्य / मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों का निर्यात

मात्रा: हजार इकाई में ; मूल्य: मिलियन अम.डॉ. में

		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (अप्रैल- नव.)	
विवरण	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
भैंस का मांस	टन	1314.22	4069.08	1323.58	3903.49	1350.25	4037.11	825.57	2482.55
मसाले	कि.ग्रा.	831681.12	2541.46	1014453.31	2851.95	1096322.85	3115.37	706439.46	2116.30
तेल खाद्य	टन	2056.36	553.01	2632.26	805.45	3570.78	1093.16	2531.45	818.13
अरण्डी का तेल	कि.ग्रा.	586778.44	705.20	599195.56	674.73	697092.50	1043.99	421212.09	574.67
कॉफी	कि.ग्रा.	255744.05	783.87	288613.37	842.84	317828.97	968.57	179676.12	532.25
काजू	टन	103.13	768.55	91.79	786.93	90.06	922.41	52.29	435.40
चाय	कि.ग्रा.	245701.97	720.03	243429.62	731.26	272894.98	837.36	175748.64	534.77
चीनी	टन	3844.45	1490.52	2544.01	1290.71	1757.93	810.90	1792.92	652.48
ग्वारगम खाद्य	टन	325.25	496.57	419.95	463.35	494.13	646.94	330.98	440.35
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	कि.ग्रा.	532293.28	574.48	533152.10	584.79	573281.42	646.92	370200.41	406.99
अनाज से तैयार सामग्री	टन	316.54	513.03	339.95	531.70	353.35	552.61	222.13	353.96
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं		0.00	444.28	0.00	455.59	0.00	550.55	0.00	431.12
मूंगफली	टन	542.73	620.36	725.71	809.60	504.04	524.82	310.47	299.76
तिलहन बीज	कि.ग्रा.	328455.73	459.77	307328.55	402.17	336850.37	463.90	225606.50	363.49
तंबाकू विनिर्मित	-	-	316.68	-	324.31	-	340.37	-	259.13
मादक पेय	लीटर	242095.45	310.31	232179.33	298.90	241013.37	326.67	165136.12	201.37
दुग्ध उत्पाद	कि.ग्रा.	77527.13	256.95	90352.31	253.73	102262.55	303.05	95036.77	258.40
प्रसंस्कृत सब्जियां	कि.ग्रा.	174427.54	258.92	192855.77	263.57	212203.36	282.87	151845.58	193.06
कोको उत्पाद	कि.ग्रा.	32652.56	193.31	25649.50	162.18	29579.53	177.47	17929.09	128.30
तैयार उत्पाद	कि.ग्रा.	431464.50	169.12	255803.65	121.37	270396.97	136.01	200683.67	99.76
भेड /बकरी का मांस	टन	21.95	128.38	22.01	129.69	22.80	130.90	15.92	88.81
वनस्पति तेल	टन	30.60	79.93	60.47	116.29	37.06	87.83	36.46	72.72
कुक्कुट उत्पाद	-	0.00	117.49	0.00	79.11	0.00	85.70	0.00	63.53
पशु की खाल	कि.ग्रा.	206.36	2.61	173.24	2.06	12424.66	50.68	10090.31	46.27
गुड	टन	818.57	101.01	390.67	47.06	123.97	15.06	340.84	33.62
काजू गिरी तरल	कि.ग्रा.	11677.26	8.83	11404.76	6.56	8325.16	5.06	4083.22	3.01
प्रसंस्कृत मांस	टन	0.28	0.96	0.14	0.69	0.27	1.54	0.24	1.10
अन्य मांस	टन	0.00	0.00	0.01	0.03	0.45	1.09	0.51	1.15
कुल			**16684.72**		**16940.12**		**18158.88**		**11892.45**

स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4259**

दिनांक 07 , जनवरी 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीनी सामान पर पाटन रोधी शुल्क

4259. श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री रवनीत सिंहः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाटन रोधी और संबंधित शुल्कों संबंधी महानिदेशालय (डीजीएडी) ने चीनी सामान पर विश्व व्यापार संगठन की गैर–अनुपालना में कोई राजसहायता का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसने उन वस्तुओं पर पाटन–रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू कंपनियों को सस्ते आयातों से संरक्षित करने के लिए डिटरजेन्ट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले एक चीनी रसायन पर पाटन–रोधी शुल्क लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह शुल्क कितने समय तक लागू रहेगा;

(घ) क्या सरकार समिति के एक प्रतिवेदन के निष्कर्षों से अवगत है जिसमें कहा गया है कि चीनी इस्पात के आयातों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कठोर उपाय कार्यान्वित किए हैं; और

(च) क्या सरकार चीन से सस्ता इस्पात आयात करने से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) : सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन और सब्सिडाइज्ड वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क का एकत्रण तथा क्षति का निर्धारण) नियम 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत चीन से आयातित निम्नलिखित उत्पादों पर व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय (डीजीटीआर) भूतपूर्व डीजीएडी ने चीनी वस्तुओं पर सब्सिडी की जांच की है और प्रतिकारी/गैर सब्सिडी शुल्क अधिरोपित किया है :-

क्रम संख्या	उत्पाद	प्रतिकारी शुल्क के अधिरोपण की तिथि	शुल्क की मात्रा	शुल्क समाप्त होने की तिथि
1	वायु प्रचालित बिजली के जेनरेटर के लिए कास्टिंग	19.01.2016	आयातित माल उतारने तक के मूल्य का 8.78 प्रतिशत से 13.44 प्रतिशत	18.01.2021
2.	कुछ विशिष्ट तप्त रोल्ड और शीत रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद	07.09.2017	आयातित माल उतारने तक के मूल्य का 18.95 प्रतिशत	06.09.2022

(ख) जी हां, "वायु प्रचालित बिजली के जेनरेटर के लिए कास्टिंग" और "कुछ तप्त रोल्ड और शीत रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों" पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	उत्पाद	पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की तिथि	शुल्क की मात्रा	शुल्क समाप्त होने की तिथि
1	वायु प्रचालित बिजली के जेनरेटर के लिए कास्टिंग	30.08.2017	आयातित माल उतारने तक के मूल्य का 6.27 प्रतिशत से 35.92 प्रतिशत	29.08.2022
2.	स्टेनलैस स्टील के शीत रोल्ड फ्लैट उत्पाद	11.12.2015	आयातित माल उतारने तक के मूल्य का 5.39 प्रतिशत से 57.39 प्रतिशत	10.12.2020
3	एल्स टीएम ग्रेड 304 के स्टेनलैस स्टील के तप्त रोल्ड फ्लैट उत्पाद	05.06.2015	180 अमरीकी डॉलर से 316 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी	04.06.2020
4.	धातु और गैर धातु इस्पात के तप्त रोल्ड फ्लैट उत्पाद	08.08.2016	478 अमरीकी डॉलर से 561 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी	07.08.2021
5	धातु और गैर धातु इस्पात के शीत रोल्ड फ्लैट उत्पाद	17.08.2016		16.08.2021

(ग) : चीन से आयातित और डिटरजेंट में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रमुख रसायनों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है:-

क्रम संख्या	उत्पाद	शुल्क लगाने की तिथि	शुल्क की मात्रा	शुल्क समाप्त होने की तिथि
1	कास्टिक सोडा	18.08.2015	प्रति ड्राई एमटी पर शून्य से 48.39 अमरीकी डॉलर	17.08.2020
2.	लीनियर एल्किल बेनजीन	11.04.2017	प्रति एमटी पर 23.78 से 300.22 अमरीकी डॉलर	10.04.2022
3	जियोलाइट- 4 ए (डिटरजेंट ग्रेड)	13.12.2018	प्रति एमटी पर 163.90 अमरीकी डॉलर से 207 72 अमरीकी डॉलर	12.12.2023

(घ): जी, हां सरकार को दिनांक 25 जुलाई 2018 को प्रकाशित राज्य सभा की 145 वीं संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि चीन से इस्पात के निर्यात में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ड.) और (च) : डीजीटीआर ने दिनांक 18.10.2018 की अधिसूचना सं. 54/2018-कस्टम (एडीडी) द्वारा चीन से आयातित सीधी छडों और धातु स्टील की रॉड पर 44.89 अमरीकी डॉलर से 185.51 अमरीकी डॉलर प्रति एमटी की श्रेणी में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है । पाटनरोधी शुल्क 17.10.2023 तक मान्य है । इस्पात मंत्रालय ने चीन और अन्य देशों से घटिया इस्पात आयात को रोकने के लिए 53 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं और घरेलू उद्योग पर चीन से आयातित घटिया स्टील के प्रभाव की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रहा है ।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4242

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

कच्चे बांस की लकड़ी का आयात

4242. श्री राजू शेट्टीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत, दक्षिण भारत में अगरबत्ती इकाइयों के लिए वियतनाम और चीन से कम आयात प्रशुल्क पर कच्चे बांस की लकड़ियां आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसी इकाइयों को सहयोग न करने और ऐसे आयात को प्रतिबंधित करने के क्या कारण हैं जो कि स्थानीय उत्पादकों अधिकांशत जनजातीय और सीमांत किसानों को प्रभावित कर रहा है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों 2015–16 से 2017–18 तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2018–19 (अक्तूबर 2018 तक) में भारत का वियतनाम और चीन से बांस और अगरबत्तो (क्रम"ा एचएस कोड 1401100 और 33074100 के अंतर्गत) के आयात का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) सीसीईए द्वारा अपैल 2018 में अनुमोदित पुनर्गठित राष्ट्रीय बास मि"ान में कृषकों को उपभोक्ताओं से जोडने के लिए बांस क्षेत्र की पूर्ण मूल्य श्रंखला को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है जिसमें रोपण सामग्री से लेकर, रोपण, संग्रहण, एकत्रीकरण हेतु सुविधाओं को सृजित करना, विपणन प्रसंस्करण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कौ"ाल विकास तथा एक कलस्टर पद्धति के तरीके से ब्रांड निर्माण की पहल करना शामिल है। अगरबती उद्योग हेतु गुणवत्ता वाले कच्चे माल को घरेलू आपूर्ति को अपेक्षित प्रजातियों के रोपण, अधिक कु"ाल प्रसंस्करण उपस्कर के संस्थापन, संबद्ध समुदायों की दक्षता को बढ़ावा देकर और मजबूती प्रदान करने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2018–19 हेतु प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार बांस के बाजारों के संवर्धन और विकास हेतु अभी तक 16 राज्यों में 88 बांस उपचार इकाईयों, 464 उत्पाद विकास/प्रसंस्करण इकाईयों, 135 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वित्तीय वर्षो 2015–16 से 2017–18 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 (अक्टूबर, 2018 तक) में बांस और अगरबती (क्रमशः एचएस कोड 14011000 और 33074100 के तहत) आयात।

आईटीसी एच.एस.	मद विवरण	देश	मात्रा की इकाई	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19 अकटूबर 2018 तक	
				मात्रा	मूल्य अमेरिकी डालर में	मात्रा	मूल्य अमेरिकी डालर में	मात्रा	मूल्य अमेरिकी डालर में	मात्रा	मूल्य अमेरिकी डालर में
14011000	बांस	चीन पी आरपी	टन	9670	10492433	20191	23016358	26054	27541446	17479	18144203
		वियतनाम समाजवादी गणाराज्य	टन	10647	12178745	7307	8756682	823	891093	332	329261
14011000 का कुल आयात			टन	**20437**	**22738842**	**27525**	**31805883**	**26910**	**28469597**	**17870**	**18534608**
33074100	अगरबत्तो और अन्य सुगंधी निर्मितिया जो जलाने से प्रचालित होती है।	चीन पी आरपी	टन	5385	6856997	7261	8217458	7499	8534706	3485	3868131
		वियतनाम समाजवादी गणाराज्य	टन	81394	60122539	105553	65372008	93228	75508922	60159	47478776
33074100 का कुल आयात			टन	**86931**	**67202823**	**113156**	**74045787**	**101048**	**84952787**	**63776**	**51551124**

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2018–19 के आंकड़े अनंतिम हैं

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4223**

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

घटिया सामान का आयात एवं बिक्री

4223. श्री राहुल कस्वांः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय बाजार में घटिया सामान का आयात और इसकी बिक्री सरकार के संज्ञान में आई ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आयात और ऐसे सामान की बिक्री का रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक राजस्व आसूचना निदे"ालय द्वारा जब्त घटिया सामान के आयात के संबंध में विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग) उक्त मामलों में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई आरंभ की गई है। इसके अलावा अपने उत्पादकों और उपभोक्ताओं की रक्षा करने के उद्दे"य से भारत के पास अपने पर्यावरण, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य, पेड़–पौधों और प"ाुओं की रक्षा करने हेतु एक विस्तृत और ठोस कानूनी ढांचा तथा संस्थागत व्यवस्था है। विदे"ा व्यापार नीति के अंतर्गत भारतीय उपभोक्ताओं और उत्पादकों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान विद्यमान ह क्योंकि आयातित माल घरेलू कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्दे"ाों, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों के अधीन हैं। घरेलू सामान के लिए लागू बीआईएस मानक आयातित सामान के लिए भी लागू है। इसके अलावा, पौध और पौध आधारित उत्पाद का आयात पौध संगरोध उपायों तथा सेनीटरी एवं फाइटो–सेनीटरी उपायों के अध्यधीन है, प"ाु और प"ाु आधारित उत्पादों का आयात सेनीटरी आयात परमिट के अधीन है तथा खाद्य/खाद्य सामाग्रियों का आयात एफएसएसएआई मानकों के अधीन है।

घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले सस्ते आयातों के विरूद्ध व्यापार रक्षा उपाय जैसे पाटन–रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा शुल्क मौजूद हैं। जब कभी भारतीय उद्योग सस्ते आयातों से प्रभावित होता है तो यह उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत सरकार से उपाय करने हेतु अनुरोध कर सकता है। पाटन–रोधी महानिदे"ालय (डीजीएडी) दे"ा में घरेलू उद्योग का नुकसान पहुंचाने वाले सामान को डम्प करने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई विधिवत रूप से प्रमाणित याचिका के आधार पर पाटन–रोधी जांच करता है। इसी प्रकार, पाटनरोधी महानिदे"ालय अपने निर्यात उत्पादों पर सब्सिडी देने वाले दे"ाों के विरूद्ध सब्सिडी–रोधी जांच करता है। सीमा–"ाुल्क प्र"ाुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख, कतिपय शर्तों के अधीन केन्द्र सरकार को ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी शर्तो के अधीन भारत में आयातित किसी वस्तु जिससे भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो या होने का खतरा हो, पर सुरक्षा शुल्क लगाने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुलग्नक–क

वर्ष	ममलों की सं.	वस्तुओं का विवरण	मूल्य (लाख रु. में)	उल्लंघन
2015–16	1	च"मा	6.28	आईपीआर
2016–17	4	स्क्रीन गार्ड, रिचार्जेबल बैटरी, बैटरी कवर, कार्ड बार्ड बैटरी पैक कवर, पावर बैंक, जूते, धूप के च"में, हैन्डबैग, चार्जर, मोबाइल बैटरी, एलईडी लैम्प, मोटर वाहन टायर आदि।	420.3	आईपीआर और बीआईएस
2017–18	20	महंगे ब्रांड के धूप के च"मे, जूते, कलाई घड़ियां, मोबाइल अनुषंगी और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मोबाइल बैटरी, चार्जर आदि	11537.45	आईपीआर और बीआईएस
2018–19 (दिसम्बर, 2018 तक)	1	महंगे वैश्विक ब्रांड के बांस की छड़ी, घड़िया, कास्मेटिक्स, लेडी पर्स, बेल्ट, लैपटॉप एडेप्टर आदि।	मूल्य निर्धारण प्रक्रियाधीन है।	आईपीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4211**

दिनांक 07 जनवरी 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क

4211. श्रीमती रीती पाठकः

श्री जुगल किशोरः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर से बढी हुई मांग के कारण रबड़ की खपत में वृद्धि की प्रवृति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टायर विनिर्माण उद्योग ने सरकार से प्राकृतिक रबड़ के आयात शुल्क को कम करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) प्राकृतिक और कृत्रिम रबड़ के उत्पादन को बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) और (ख) : मुख्यत: ऑटो टायर क्षेत्र की मांग में वृद्धि के कारण प्राकृतिक रबड (एन आर) की खपत वर्ष 2016-17 के 10,44,075 टन से बढकर वर्ष 2017 - 18 में 11,12,240 टन हो गई । इसका विवरण निम्नानुसार है:-

एनआर की खपत (टन में)

	2016-17	2017-18 *(अनंतिम)*	वृद्धि (%)
ऑटो टायर क्षेत्र	7,07,335	7,72,162	9.2
गैर टायर क्षेत्र	*3,36,740*	*3,40,048*	*1.0*
कुल	10,44,075	11,12,210	6.5

स्रोत: रबड बोर्ड

(ग) और (घ): टायर विनिर्माण उद्योग ने एनआर पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की है । रबड क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक रबड पर आयात शुल्क के वर्तमान स्तर को यथास्थिति रखने का निर्णय लिया गया है ।

(ड.) : देश में प्राकृतिक रबड के उत्पादन के संवर्धन हेतु सरकार रबड बोर्ड के माध्यम से "प्राकृतिक रबड क्षेत्र में स्थायी और समावेशी विकास" योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत रबड बागान विकास और विस्तार , रबड अनुसंधान ,रबड प्रसंस्करण एवं विपणन, अवसंरचना विकास, मानव संसाधन विकास आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

वर्तमान में भारत में ब्यूटाईल /हालो ब्यूटाइल का कोई स्थानीय विनिर्माता नहीं है, और आयात द्वारा आवश्यकता को पूरा किया जाता है । पिछले 4 वर्षों के दौरान, भारतीय कंपनियों ने कृत्रिम रबड की उत्पादन सुविधाओं की स्थापना हेतु 4000 करोड रूपए का निवेश किया है । '' मेक इन इंडिया '' के एक भाग के रूप में रिलायंस और रूसी पैट्रोरसायन प्रमुख मैसर्स सिबुर भारत में ब्यूटाइल रबड के लिए विनिर्माण आधार की स्थापना हेतु आपस में जुड गए है, और रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) बनाया गया है ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4204

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रम बहुल क्षेत्रों से निर्यात

4204. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री एस॰ आर॰ विजय कुमारः
कुँवर हरिवंश सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान श्रम बहुल क्षेत्रों से निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत के श्रम बहुल क्षेत्रों से कुल निर्यात का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान श्रम बहुल क्षेत्र से निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक प्रयासों का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने श्रम बहुल क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के तहत कृषि उत्पाद/उपज को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (घ): गत तीन वर्षो के दौरान भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात और श्रम गहन क्षेत्रों से निर्यात के प्रति"ातता भाग सहित मूल्य निम्नानुसार हैंः–

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	श्रम गहन क्षेत्रों से निर्यात	प्रतिशत परिवतन	भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात	श्रम गहन क्षेत्रों से निर्यात का प्रतिशत भाग
2015-16	116868.51	--	262291.09	44.56
2016-17	123443.40	5.63	275852.43	44.75
2017-18	132131.75	7.04	303526.16	43.53

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

उपर्युक्त तालिका में आकड़े द"ार्ाते है कि वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 के दौरान 5.63 प्रति"ात सकारात्मक वृद्धि हुई। वर्ष 2017–18 के दौरान इसमें वर्ष 2016–17 की तुलना में 7.04 प्रति"ात की सकारात्मक वृद्धि हुई। मापन की विभिन्न इकाईयों की वजह से निर्यात की कुल मात्रा योगात्मक नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों में श्रम गहन क्षेत्रों से निर्यात की मात्रा और मूल्यों का क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

(ड.) से (च): भारत की व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20, दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय–समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) विदेश व्यापार नीति 2015–20 'मेक इन इण्डिया', 'डिजीटल इण्डिया', 'स्किल इण्डिया', 'स्टार्ट अप इण्डिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरुप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात मे वृद्धि करने के साथ–साथ रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iii) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iii) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है नामतः बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)।

(iv) भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) को 1 अप्रैल, 2015 की विदे"ा व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 में प्रारंभ की गयी जिसका उद्दे"य भारत मे उत्पादित अवसंरचनात्मक निष्फलताओं और विनिर्मित माल/उत्पादों का निर्यात करने संबंधी संबद्ध लागतों को कम करना है। स्कीम निर्यातकों को किए गए निर्यात की पोत पर्यन्त नि"ाुल्क मूल्य पर 2,3,4,5 और 7,10 और 20 प्रति"ात की दर से डयूटी क्रेडिट स्क्रिपों के रुप में प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्कीम 8057 प्र"ाुल्क लाइनों को कवर करती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एमईआईएस स्कीम के लिए 30,819,91 करोड़ रुपये का कुल वार्षिक वित्तीय पैकेज उपलब्ध है। उद्योग जगत के मांग करने पर दिसंबर 2017 में विदे"ा व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के समय एमईआईएस के अंतर्गत निर्यात प्रतिफल को श्रम गहन, एमएसएमई क्षेत्रों, रेडीमेड परिधानों और निर्मितियों हेतु सभी के लिए 2 प्रति"ात तक बढाया गया। इसके बाद वर्ष 2018–19 में कुछ अवधि के लिए एमईआईएस के तहत कुछ कृषि उत्पादों जैसे बंगाल ग्राम, दूग्ध और दूग्ध उत्पादों, सोया डी आयल्ड केक और गैर बासमती चावल हेतु प्रतिफल प्रदान किया/बढ़ाया गया है। आज की तारीख में एमईआईएस स्कीम के 8 अंक स्तर की 8057 प्र"ाुल्क लाइनों को कवर किया जाता है और प्रतिफल प्रदान किया जाता है।

(v) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04. 2015 से प्रारंम्भ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके। परंतु फिर भी यह पाया गया कि एमएसएमई क्षेत्र कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। एमएसएमई निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं में एक कम लागत पर निर्यात वित्त प्राप्त करना है जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा

सके। अतः ब्याज समकरण निर्यातकों को बैंकों द्वारा आफर किए गए क्रेडिट की लागत को कम करता है तथा भारत के निर्यात को बढावा देने के लिए अनुपुरक साधन का कार्य करता है। एमएसएमई से निर्यात के निम्न निष्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनके समक्ष पे"ा आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई निर्यातकों को ब्याज समकरण की दर को 3 प्रति"ात से बढ़ाकर 5 प्रति"ात करके अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार सीसीईए ने दिनांक 01.11.2018 को आयोजित अपनी बैठक में समय–समय पर स्कीम में इसकी बुनियादी संरचना में बिना बदलाव किए स"ोधन करने हेतु कार्यात्मक लचीलापन प्रदान करने के साथ मौजूदा पूर्व एवं प"च पोतलदान रुपये निर्यात ऋण संबंधी ब्याज समकरण स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निर्यात हेतु ब्याज समकरण को 3 प्रति"ात से बढाकर 5 प्रति"ात करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

(vi) सरकार ने निर्यात बंधु स्कीम कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यातकों सहित नए और संभावित निर्यातकों तक पहुंच बनाना है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने तथा भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु विदेश व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में अभिमुखीकरण कार्यक्रम, परामर्श सत्रों, व्यक्तिशः सुविधा उपलब्ध कराने आदि के द्वारा उन्हें परामर्श देना है।

(vii)परिधान और वस्त्र अनुषंगी के सामान के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम नामक नई स्कीम 01 सितम्बर, 2016 से आरंभ की गई जिसमें निर्यातक आयात–पूर्व आधार पर इन्टर–लाइनिंग सहित फैब्रिक के लिए प्राधिकार–पत्र तथा निर्यात पर गैर–फैब्रिक इनपुटों के लिए शुल्क वापसी हेतु समग्र उद्योग दर के लिए हकदार है।

(viii) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से व्यापार सुगमीकरण हेतु एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) मंजूरी परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्टानिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रानिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढावा देने के लिए भारत ने अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझोते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।

(ix) विदे"ा व्यापार नीति 2015–20 की मध्यावधि समीक्षा जो 5 दिसम्बर, 2017 को लांच की गई थी निर्यात संवर्धन के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के अंतर्गत श्रम गहन और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए निर्यात प्रोत्साहन में 2% की वृद्धि की गई है जिससे अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन 4567 करोड़ रुपये बढ़ गया। यह एमईआईएस प्रोत्साहन में 2% से 4% तक सिले सिलाये वस्त्रों और निर्मितियों के श्रम गहन कपड़ा क्षेत्र में अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन 2743 करोड़ रुपये पूर्व में घोषित वृद्धि के अतिरिक्त था।

(x) वर्ष 2022 तक कृ'ाकों की आय दुगनी करने और कृषि निर्यात को गति देने के लिए सरकार ने एक व्यापक ''कृषि निर्यात नीति'' 6 दिसम्बर, 2018 को लांच की जो भारतीय कृ'ाको और कृषि उत्पादों को वै"वक मूल्य चेन के साथ एकीकृत करेगी। कृषि निर्यात नीति के उद्दे"य निम्नानुसार है।

- वर्तमान यूएस डालर 30+ बिलियन से यूएस डालर 60+ बिलियन डालर तक कृषि निर्यातों को वर्ष 2022 तक दुगना करना और इसके बाद स्थाई व्यापार नीति नियम के साथ आगामी कुछ वर्षों में यूएस डालर 100 बिलियन तक पहुचाना।
- हमारी निर्यात बास्केट, स्थलों में विविधता लाना और खराब होने वाली वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्च मूल्य और मूल्य संवर्धित कृषि निर्यात को बढावा देना।
- नये, स्वदे"ाी जैविक, संजातीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादो के निर्यात को बढावा देना।
- बजार पहुंच बनाने, बाधाओं को दूर करने तथा सैनेटरी और फाइलो–सैनेटरी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करना।
- वि"व कृषि निर्यातों में भारत का अं"ा दुगना करने का प्रयास वै"विक मूल्य चेन के साथ शीध्र ही एकीकृत होकर करना।
- विदे"ाी बाजार में निर्यात अवसरो के लाभ प्राप्त करने के लिए कृषको को समर्थ करना।

(xi) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निर्यातकों को एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना स्कीम के तहत निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गईः–

(i) निर्यात अवसरंचना का विकास
(ii) गुणवत्ता विकास
(iii) बाजार विकास

अनुलग्नक- **I**

दिनांक **07** जनवरी, **2019** को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 4204 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण विवरण।

भारत के श्रम गहन क्षेत्रों का निर्यात

(**मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में**)

क्र. सं.	**श्रम गहन क्षेत्र**	**इकाई**	**2015-16**		**2016-17**		**2017-18**	
			मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
1	एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि			1058.14		983.59		1294.63
2	विमान, अंतरिक्ष यान और हिस्से			3959.11		3381.66		2264.27
3	एल्युमिनियम, एल्युमिनम के उत्पाद	टन	1158767	2639.74	1552536	3244.69	2018992	4800.89
4	एटीएम, इंजैक्टिंग मोल्डिंग मशीनरी आदि			1263.42		1268.77		1521.53
5	ऑटो संघटक / भाग			4217.58		4205.38		5207.24
6	ऑटो टायर और ट्यूब	संख्या	27911579	1388.68	31342904	1494.25	30555026	1785.96
7	साइकिल और पार्ट्स			298.44		293.68		328.20
8	कालीन (रेशम को छोडकर) हस्तनिर्मित	वर्ग मी.	101015566	1437.82	103389966	1480.69	105108201	1427.14
9	तांबा और तांबा से बने उत्पाद	टन	424485	2539.75	458480	2672.94		3481.36
10	सूती कपड़े, निर्मितियां आदि।			5266.23		5212.53		5482.87
11	सूती धागा	टन	1307110	3608.12	1156331	3337.49	1097389	3424.92
12	क्रेन, लिफ्ट्स एंड विन्चेस			432.70		386.28		385.44
13	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण			3925.41		4742.25		6708.29
14	तैयार चमड़ा	कि.ग्रा	51638460	1049.47	46526196	887.03	43410934	873.97
15	जूट का फ्लोर कवरिंग	वर्ग मी.	6259182	34.01	5105462	37.75	5792024	46.48
16	चमड़े के जूते			2148.41		2127.90		2194.73
17	सोना	कि.ग्रा	150752	5573.54	152922	6121.43	59631	2393.74
18	सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण			10958.79		11934.61		12807.35
19	हथकरघा उत्पाद			368.57		359.73		355.94
20	हैन्ड टूल, धातुओं की कटिंग करने हेतु टूल			640.99		638.95		711.60
21	आईसी इंजन और भाग			2109.93		2115.14		2402.94
22	डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी आदि			4645.77		4640.98		5344.58
23	लोहा और इस्पात	टन	7570179	5492.56	14035205	8683.01	15888130	11244.74
24	जूट हेसियन			125.54		138.23		141.23
25	जूट यार्न	टन	16930	18.34	9076	10.65	16976	20.20
26	जूट, कच्चा	टन	25107	17.18	18184	11.44	27199	14.81
27	लेड और लेड से बने उत्पाद	टन	89390	181.53	108063	236.89	159531	396.65
28	चमड़े के वस्त्र	कि.ग्रा	7770092	553.98	7511083	535.37	7423050	519.32
29	चमड़े के सामान			1370.86		1316.59		1365.79
30	मशीन टूल्स			393.82		452.01		470.38

क्र. सं.	श्रम गहन क्षेत्र	इकाई	2015-16		2016-17		2017-18	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
31	मानव निर्मित सूत, कपड़े, निर्मितियां			4621.66		4557.08		4826.33
32	चिकित्सा और वैज्ञानिक उपकरण			994.38		1176.69		1429.32
33	मोटर वाहन / कारें	संख्या	1139434	6727.45	1126223	7547.45	1222665	8472.51
34	निकल, निकेल से बना उत्पाद	टन	37605	492.84	9045	92.65	3190	44.78
35	न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडस्ट्रीअल बोइलर, पुर्जे			680.85		669.96		606.55
36	कार्यालय उपकरण			89.50		117.92		78.60
37	अन्य गैर लौह धातु और उत्पाद	कि.ग्रा	91130806	431.80	91490179	446.17		505.18
38	अन्य निर्माण मशीनरी			1079.38		1067.42		1441.75
39	अन्य जूट विनिर्माण			117.47		123.31		127.17
40	अन्य विविध इंजीनियरिंग आइटम			1990.57		2132.95		2435.91
41	अन्य कीमती और आधार धातु			447.29		421.66		461.43
42	फुटवेयर के अलावा अन्य रबड उत्पाद			922.24		961.33		1161.96
43	प्राइम अभ्रक और अभ्रक उत्पाद	कि.ग्रा	1047310	17.08	1084310	18.17		20.77
44	लौह और इस्पात के उत्पाद			6142.47		5895.44		6770.20
45	परियोजना का सामान	कि.ग्रा	3785921	29.01	3559862	28.74	656036	21.95
46	सभी प्रकार के पंप			707.66		761.50		966.99
47	रेलवे परिवहन उपकरण, पार्टस्			110.06		231.92		346.81
48	उपस्कर सहित आरएमजी वस्त्र			9091.58		8513.22		8510.76
49	आरजीएम मानवनिर्मित वस्त्र			4181.77		5035.94		4746.97
50	अन्य वस्त्र सामग्री के आर.एम.जी.			3184.53		3462.79		3122.15
51	आरएमजी सिल्क			244.10		141.71		157.92
52	आरएमजी ऊन			262.38		214.50		169.14
53	जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना			3984.52		4370.60		3074.94
54	रेशम का कालीन	वर्ग मी.	29680	2.25	45578	9.50	17527	2.68
55	चांदी	कि.ग्रा	29946	7.36	32721	11.29	29490	10.21
56	खेल का सामान			227.72		224.83		232.80
57	टिन और टिन से बने उत्पाद	टन	3654	57.22	520	8.84	572	11.10
58	टू एंड थ्री व्हीलर	संख्या	2531371	1777.86	2392382	1638.19	2784365	2001.48
59	जस्ता और जस्ते से बने उत्पाद	टन	257627	527.07	228016	609.71	286964	956.18
श्रम गहन क्षेत्रों से कुल निर्यात				**116868.51**		**123443.40**		**132131.75**
भारत का कुल निर्यात				**262291.09**		**275852.43**		**303526.16**
श्रम गहन क्षेत्रों का % हिस्सा				**44.56**		**44.75**		**43.53**

स्रोत: डीजीसीआईएंड एस, कोलकाता

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4197**

दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

उर्वरकों का निर्यात

4197. श्री राघव लखनपाल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों को उर्वरकों के गुप्त निर्यात किए जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन–सा तंत्र अपनाया जा रहा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी.आर. चौधरी)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"उर्वरकों के निर्यात" के संबंध में 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 4197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : भारत सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत उर्वरक को एक अनिवार्य वस्तु घोषित किया है और ईसी अधिनियम के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 एवं उर्वरक (आवाजाही नियंत्रण) आदेश, 1973 को अधिसूचित किया है। उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकार को उर्वरकों की तस्करी को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से अधिकार प्राप्त है एवं राज्य सरकारों को तलाशी लेने, जब्ती करने एवं एफसीओ, 1985 एवं अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है। गृह मंत्रालय द्वारा संकलित एवं उर्वरक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी भू सीमाओं के सीमा रक्षक बलों द्वारा पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में 30.11.2018 तक भारतीय सीमाओं पर की गई उर्वरकों की जब्ती के विवरण अधोलिखित है:

भारत-पाकिस्तान एवं भारत - बांग्लादेश सीमा :

उर्वरक जब्ती (कि.ग्रा में)

विवरण	वर्ष 2015	2016	2017	2018 (30.11.18 तक)
जब्त	7749	587	1515	557

भारत-नेपाल एवं भारत - चीन सीमा :

उर्वरक जब्ती (कि.ग्रा में)

विवरण	वर्ष 2015	2016	2017	2018 (30.11.18 तक)
जब्त	2,23,250	70,650	64,300	36,987

भारत-भूटान सीमा : शून्य

भारत-म्यांमार सीमा :

उर्वरक जब्ती (कि.ग्रा में)

विवरण	वर्ष 2015	2016	2017	2018 (30.11.18 तक)
जब्त	12,000	शून्य	शून्य	1,100

उर्वरक विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय ने सीमा रक्षक बलों के जरिये भारतीय सीमाओं (आईबी) से सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(क) सीमा चौकियों (बीओपी) का संवेदनशीलता मानचित्रण किया गया है और उनकी सीमा-पार अपराधों के मद्देनजर समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। अतिरिक्त मानवशक्ति की तैनाती, विशिष्ट चौकसी, उपकरण वाहनों एवं अन्य अवसंरचना सहायता द्वारा बीओपी को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ख) सीमा की चौबीसों घण्टे चौकसी करने अर्थात गश्त करने, नाका लगाने, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी चौकियों की स्थापना करने एवं बीओपी के वर्तमान प्रतिरक्षाओं को सुदृढ़ बना के सीमाओं की प्रभावी निगरानी की जा रही है।

(ग) पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सीमाओं के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पर चारदीवारी बनाना एवं सीमा पर तेज रोशनी करके वाले उपकरण लगाना।

(घ) भारत - पाकिस्तान एवं भारत - बांग्ला देश सीमा से लगे नदी तटीय क्षेत्र की निगरानी के लिए वॉटर क्राफ्ट / नौकाओं का उपयोग एवं बीओपी की स्थापना ।

(ड.) आसूचना को साझा करना एवं सहायक एजेंसियों के साथ घनिष्ट संपर्क बनाना ।

(च) सीमा एवं इन-डेप्थ क्षेत्रों में विशेष अभियानों का संचालन करना / फोर्स मल्टीप्लायर्स एवं हाई-टेक चौकसी उपकरणों का उपयोग।

(छ) अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए औचक निरीक्षण एवं नाकाबंदी।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4195

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

4195. श्री शिवकुमार उदासिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मटर के 100,000 टनों पर आरंभ में 30 जून तक तीन महीने की अवधि के लिए लागू किया गया भारत का मात्रात्मक प्रतिबंध को दो बार बढ़ाया गया है, पहला 30 सितम्बर, 2018 तक और बाद में 31 दिसम्बर, 2018 तक और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत घरेलू बाजार में गिरते हुए मूल्य को रोकने के लिए कुछ दालों के आयात पर अपने मात्रात्मक प्रतिबंध को जारी रखने के कारण डब्ल्यूटीओ में कठिनाई का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ में एसी आपत्तियों का सामना करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसी आपत्तियों से सरकार की घरेलू उत्पाद को समर्थन देने की पहलों के नष्ट होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) मटर (पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कस्पा मटर सहित) की आयात नीति दिनांक 25.04.2018 की अधिसूचना सं० 04/2015–2020 के द्वारा एक लाख मी.ट. के कोटे हेतु दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 तक प्रारंभ में तीन माह की अवधि के लिए ''मुक्त'' से सं"ोधित करके प्रतिबंधित कर दी गई। प्रतिबंध को दिनांक 02.07.2018 की अधिसूचना सं० 15/2015–2020 द्वारा अगले तीन महिने की अवधि के लिए अर्थात् 30.09.2018 तक बढाया गया। दिनांक 28.12.2018 की अधिसूचना सं. सा.आ. 6364 (अ.) द्वारा फिर से 31.03.2019 तक बढाया गया। यह सभी डीजीएफटी की वेबसाईटः dgft.gov.in पर सार्वजनिक रुप से उपलब्ध है।

(ख) से (घ) डब्लूटीओ के कई सदस्यों ने कृषि संबंधी डब्लूटीओ समिति के साथ–साथ द्विपक्षीय बैठकों में भारत से सवाल उठाए है जिसके आधार पर भारत ने मात्रात्मक प्रतिबध लगाए और डब्लूटीओ के नियमों के अनुसार इन्हें जारी रखा। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध को लागू करना कीमतों मे गिरावट के प्रतिकल प्रभाव से छोटे और सीमांत किसानों की रक्षा करने हेतु किया गया अस्थायी उपाय है। इसके बाद, ऐसे उपायों पर नियमित आधार पहलों पर समीक्षा घरेलू उत्पादकों को सहायता करने हेतु की जाती है।

***

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4164**

दिनांक 7 जनवरी,2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कमोडिटी बोर्डों का विलय

4164. श्री प्रताप सिम्हाः

कुमारी शोभा कारान्दलाजेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की रोपण फसलों के उत्पादन और निर्यात में सुधार के लिए कमोडिटी बोर्डों को एकल कंपनी में विलय करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोपण फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन बोर्डों ने क्या पहलें की हैं;

(ख) क्या काफी, चाय, मसाला, तंबाकू के निर्यात में विगत तीन वर्षों के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बोर्डों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान संबंधित क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या काजू बोर्ड सृजित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कॉफी बोर्ड और अन्य कमोडिटी बोर्डों के पेंशनरों को 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग के लाभ देने की स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) : जी नहीं । सरकार ने निजी वस्तु बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के जरिए नए रोपण, पुनर्रोपण, पुनरूद्धार, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्य वृद्धि एवं बाजार संवर्धन के लिए उत्पादकों एवं उद्योग को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के जरिए इन रोपण फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए एकल वस्तु बोर्डों के माध्यम से कई पहलें शुरू की हैं ।

(ख) : कॉफी , चाय और मसालों के निर्यात में 2016-17 एवं 2015-16 के मुकाबले 2017-18 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है । तंबाकू के निर्यात में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(मात्रा एमटी में और मूल्य करोड़ रुपए में)

फ़सल	2015-16		2016-17		2017-18	
	निर्यात (मात्रा)	मूल्य	निर्यात (मात्रा)	मूल्य	निर्यात (मात्रा)	मूल्य
चाय	2,32,920	4493.10	2,27,630	4632.50	2,56, 57 0	5064.88
कॉफ़ी	3, 10 , 015	5056	3,43, 933	5447	3,95,014 *	6210
मसाले	8,43,255	16238.23	9,47,790	17812.23	1 , 02 8 , 060	17980. 16
तंबाकू	2,43,418	6058.13	2,31,800	5975.08	2,12,916	5539.94

स्रोत: वस्तु बोर्ड * अनंतिम ।

(ग) : इन बोर्डों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

बोर्ड	2015-16 (वास्तविक)	2016-17 (वास्तविक)	2017-18 (संशोधित)
चाय बोर्ड	179.46	150.41	190.60
कॉफी बोर्ड	157.34	154.74	186.55
रबर बोर्ड	241.74	184.75	183.08
मसाला बोर्ड	115.35	89.35	97.10
तंबाकू बोर्ड	तंबाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया है।		

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ड): वाणिज्य विभाग ने कॉफी बोर्ड और अन्य वस्तु बोर्डो यथा चाय बोर्ड , रबर बोर्ड, मसाले बोर्ड एवं तंबाकू बोर्ड के पेंशनधारकों को दिनांक 27.12.2018 के आदेश द्वारा और तंबाकू बोर्ड के पेंशनधारकों को दिनांक 17.12.2018 के आदेश के जरिए दिनांक 1.1.2016 से 7वें सीपीसी के लाभ देने को मंजूरी दे दी है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4160**

दिनांक 7 जनवरी,2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

व्यापार मेला परिसरों की स्थापना

4160. श्री राधेश्याम बिश्वासः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों विशेष रूप से असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में नवीन व्यापार मेले परिसरों को स्थापित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसरों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) (ख) और (ग): विभाग टीआईईएस स्कीम के तहत पात्र एजेन्सियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन केंद्रों सहित निर्यात अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ।

विभाग ने 'निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम' (टीआईईएस) के तहत 3 व्यापार संवर्धन केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया हैं।

.....

अनुबंध **-I**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दी गई समय अनुसूची
1.	इम्फाल, मणिपुर में व्यापार सह स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र में मुख्य प्रदर्शनी इमारत (चरण II) की स्थापना	मणिपुर औद्योगिक विकास निगम (एमएएनआईडीसीओ)	आरंभ होने की तारीख से 24 महीने
2.	चेन्नई व्यापार केंद्र, तमिलनाडु का विस्तार	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	आरंभ होने की तारीख से 24 महीने
3.	मिटों हाल,भोपाल, मध्यप्रदेश में व्यापार संवर्धन केंद्र की स्थापना	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम	पूरा हो गया है

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4147**

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि निर्यात जोन

4147. श्रीमती रंजनबेन भट्टः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में विशेष कृषि निर्यात जोनों को विभिन्न पत्तनों और विमानपत्तनों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) और (ग): कच्ची सामग्री को विकसित करने और स्रोतीकरण करने, अंतिम रूप से निर्यात के लिए उसका प्रसंस्करण/पैकेजिंग के उद्देश्य से निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित विशेष उपज/उत्पाद पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए एक्जिम नीति 1997-2001 के जरिए कृषि निर्यात जोन (एईजेड) की अवधारणा शुरू हुई । यह अवधारणा मुख्य रूप से मूल्य श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित वित्तीय मध्यवर्तियों के हित के लिए विद्यमान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समामेलन करने, विभिन्न पणधारियों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों, संसाधकों, निर्यातकों इत्यादि के बीच सहभागिता; और अपेक्षित नीति इंटरवेंशन को चिन्हित करने के लक्षित उत्पादों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती हैं । यह सभी कार्यकलाप कुछ संदर्भों में अधिसूचित कृषि निर्यात जोनों में होते हैं । दिसंबर 2004 में, वाणिज्य विभाग द्वारा की गई आंतरिक विशिष्ट समीक्षा से निष्कर्ष निकाला गया कि अधिसूचित एईजेड अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके । यह निर्णय लिया गया कि जब तक ठोस और दमदार कारण न हो तब तक नए एईजेड का सृजन नहीं किया जाएगा । 2004 के बाद किसी नए एईजेड की स्थापना नहीं की गई । सभी अधिसूचित एईजेड 5 वर्षों के अभीष्ट समय को पूरा कर चुके हैं और अब इन्हें खत्म किया जा चुका है ।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं. 376**

दिनांक 07 जनवरी, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय का उत्पादन

*376. श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंहः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर–पूर्व राज्यों तथा ओडिशा में, चाय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कुल कितना उत्पादन हुआ;
(ख) क्या सरकार ने उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चाय उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या इस संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (घ): एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

*****

" चाय उत्पादन " के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 376 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान देश (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) में कुल चाय उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है : -

राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
असम	652.95	657.24	676.31
त्रिपुरा	8.96	9.46	8.72
अरुणाचल प्रदेश	11.34	12.14	11.16
मेघालय	0.31	0.52	0.47
नागालैंड	0.18	0.81	1.24
मिजोरम	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.08	0.08	0.12
कुल उत्तर पूर्वी राज्य	**673.82**	**680.25**	**698.02**
अन्य	559.32	570.24	627.03
पूरे भारत में उत्पादन	1233.14	1250.49	1325.05

स्रोत: चाय बोर्ड

ओडिशा राज्य में चाय की खेती या उत्पादन का रिकॉर्ड नहीं है ।

(ख) एवं (ग): पूर्वोतर क्षेत्र सहित देश के चाय उत्पादन करने वाले सभी क्षेत्रों में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए " मध्यावधि फ्रेमवर्क अवधि 2017 -20 " के दौरान चाय बोर्ड द्वारा " चाय विकास एवं संवर्धन स्कीम " को क्रियान्वित किया जा रहा है । स्कीम की प्रमुख गतिविधियों में अन्य बातों के साथ - साथ पुनर्रोपण, पुनरूज्जीवन, क्षेत्र मशीनीकरण, फैक्टरी आधुनिकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन, कामगार कल्याण शामिल है ।

चाय बोर्ड नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों को करती है जिनका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों जैसे चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए), दक्षिण भारत के यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन (यूपीएएसआई) का चाय अनुसंधान फाउंडेशन (टीआरएफ) तथा अन्य के सहयोग से अनुसंधान को बढ़ावा देना है । राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक निकायों के मानकों के अनुरूप गुणवत्ता मानकों, कीटनाशक अवशेषों, जैव - कीटनाशकों, जैव - उर्वरक, भारी धातु, सूक्ष्म जीव विज्ञानी दूषित पदार्थों आदि की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल में सिलिगुडी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) को स्थापित किया गया है ।

(घ) उत्पादकता संबंधी मुद्दों पर कार्य करने के लिए टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस यूएसए (यूसी डेविस) के साथ वर्ष 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । जलवायु संबंधी मुद्दों पर कार्य करने के लिए टोकलाई, टीआरआई ने कुनमिंग वनस्पति विज्ञान संस्थान, चीन के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

****

" मसाला उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज " के संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 363 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.) केरल राज्य में आकलन किए गए मसाला उत्पादकों की फसल/पौधों की हानि का ब्यौरा निम्नलिखित है :

फ़सल	प्रभावित क्षेत्र (हे.)	उत्पादन 2018-19 का अनुमानित नुकसान (एमटी)
इलायची (छोटी)	17707.12	8459.37
काली मिर्च	26,614	10700
जायफल	4403	2749
लौंग	181	13
अदरक	1030	4100
हल्दी	396	976
कुल	50331.12	26997.37

स्रोत: सुपारी और मसाला विकास महानिदेशालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय , मसाला बोर्ड (छोटी इलायची के लिए)

केरल के प्रभावित उत्पादकों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है : -

(i) सरकार ने वर्ष 2018 -19 और 2019-20 की चल रही मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) अवधि के दौरान 17.07 करोड़ रूपए के आबंटन के साथ केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छोटी इलायची के लिए पुनरोर्पण और गुणवत्ता पौधों के उत्पादन करने हेतु मसाला बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमादेन दिया है ।

(ii) वर्ष 2018 में बाढ़/भूस्खलन के कारण से केरल सरकार से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर में, स्थल पर स्थिति के आकलन के लिए राज्य में अंतर मंत्रालयी दलों की नियुक्ति की गई थी । दल की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 94,699 हेक्टेअर क्षेत्र में कृषि/बागवानी फसल 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित हुई थी । राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से निधियों को जारी करने की प्रक्रिया के अनुपालन में, क्षतिग्रस्त कृषि/बागवानी फसलों के लिए 2 हेक्टेअर भूमि तक के प्रभावित कृषकों को 121.94 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की गई है ।

(iii) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, बाढ के आपदाग्रस्त प्रभाव को कम करने के लिए वर्ष 2018 -19 में भारत सरकार के हिस्से के रूप में 56.03 करोड़ रूपए के साथ 93.39 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है ।

*****